महत्वपूर्ण निर्देश - 2

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक : 1045 14–2/तक./2010 दिनांक : 25/03/2010

प्रति,

1. संचालक,
   कृषि

2. संचालक,
   समेती (NFSM)
   छत्तीसगढ़

विषय :– कृषि inputs पर अनुदान के समायोजन बाबत् ।

यह देखने में आया है कि अनुदान प्राप्त विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किसानों को दिये जाने वाले अनुदान वितरण में अत्यधिक विलंब हो रहा है। उदाहरणस्वरूप वर्ष 2009–10 के लिये NFSM, MMP, आयसोपॉम के अंतर्गत बीज निगम तथा निजी लायसेंसियों द्वारा जो बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कल्चर, कृषि यंत्र आदि का वितरण किया गया है, उसका अनुदान अभी–भी समायोजित नहीं हुआ है। इस विलंब से निम्नानुसार दिक्कते हो रही है :–

(i) अनुदान समायोजन में विलंब होने के कारण किसान को कृषि ऋण पर अनावश्यक ब्याज देना पड़ रहा है, जिससे किसान को नुकसान हो रहा है।

(ii) इसी प्रकार बीज निगम को भी समय पर अनुदान का भुगतान नहीं होने से आर्थिक हानि हो रही है।

(iii) खरीफ एवं रबी मौसम से पूर्व inputs का वितरण नहीं होने से योजना के उद्देश्य पूर्ति नहीं हो पा रही है।

(iv) ये सभी केन्द्र पोषित योजनायें हैं एवं समय पर व्यय एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं जाने के फलस्वरूप भारत सरकार से अग्रिम किस्त नहीं मिल पा रही है।

2. अतः सभी उप संचालक, कृषि से 31 मार्च, 2010 तक अनिवार्य रूप से सभी योजनाओं के अंतर्गत अनुदान समायोजित करते हुये एक प्रमाण पत्र मंगवाया जाये। अन्यथा संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जाएगी।

3. इसके साथ–साथ वर्ष 2010–11 के लिये अभी से यह तैयारी कर ली जाये कि खरीफ 2010 से संबंधित सभी अनुदान प्राप्त योजनाओं के अंतर्गत अनुदान का समायोजन 15 अगस्त, 2010 तक अनिवार्य कर लिया जाये। इसके लिये संबंधित जिला अधिकारियों को अग्रिम कार्ययोजना बनानी होगी एवं बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कल्चर, कृषि यंत्र आदि की मांग समय पर प्रस्तुत करना होगा।

(डी.एस. मिश्र)
कृषि उत्पादन आयुक्त एवं
प्रमुख सचिव, कृषि

पृष्ठांकन क्रमांक : /14–2/तक./2010 दिनांक : /03/2010

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग।
2. कलेक्टर (समस्त), छत्तीसगढ़।
3. प्रबंध संचालक, छ.ग. बीज एवं कृषि विकास निगम, रायपुर।
4. संयुक्त संचालक, कृषि (समस्त), छत्तीसगढ़।
5. उप संचालक, कृषि (समस्त), छत्तीसगढ़।

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कृषि उत्पादन आयुक्त एवं
प्रमुख सचिव, कृषि